प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

(1) उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।
(2) आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 7 जून, 1999

विषय :उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति, 1998 के अन्तर्गत नगर योजना में पर्यटन प्रयोजन हेतु भूखण्ड चिन्हित किया जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा जारी पर्यटन नीति दिनांक 31–12–98 में आवासीय क्षेत्र में निजी उद्यमियों द्वारा तीन स्तर तक की मान्यता प्राप्त कर सकने योग्य होटल/रिजार्ट प्रोजेक्ट या कोई अन्य मान्यता प्राप्त पर्यटक इकाई स्थापित किये जाने हेतु उनको अनुमति दिये जाने तथा स्थानीय निकाय एवं समस्त विकास प्राधिकरणों द्वारा नगर योजना में पर्यटन विभाग की सहायता से पर्यटन उद्योग से सम्बन्धित गतिविधियों के लिये भूखण्ड चिन्हित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

अतः अनुरोध है कि पर्यटन के विकास के उद्देश्य से विकास प्राधिकरणों द्वारा नगरों/महानगरों की योजनायें तैयार करते समय पर्यटन विभाग की सहायता से पर्यटन उद्योग से सम्बन्धित गतिविधियों के लिये भूखण्ड चिन्हित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ताकि भविष्य में आवासीय योजनाओं के पूर्ण होने की स्थिति में पर्यटन सम्बन्धी सुविधाओं का विकास किये जाने में कोई कठिनाई न हो।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव।

संख्या : 2179/9–आ–3–99–18वि/99–तद्दिनांक

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव/सचिव/महानिदेशक पर्यटन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया यह अवगत कराने का कष्ट करें कि किन–किन नगरों में पर्यटन के विकास हेतु विशेष रूचि रखते हैं।

आज्ञा से,
जावेद एहतेशाम
अनु सचिव।